

राजस्थान सरकार  
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक : एफ2(6326)/सू.प्रौ./संस्था/14/1/24326/2014

दिनांक 08/10/2014

## कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के निम्नलिखित सूचना सहायकों को जिन्होंने अपने पद पर दो वर्ष की परीवीक्षाधीन अवधि निरन्तर संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कालम सं. 5 में उल्लेखित दिनांक से पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम 22 एवं शिड्यूल के V अनुसार वेतन श्रृंखला (पी.बी.-1) 5200-20200 (ग्रेड पे नं. 10) ग्रेड पे-2800 में न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किये जाते हैं।

| क्रम सं. | सूचना सहायक का नाम     | वर्तमान पदस्थापित विभाग                          | प्रथम कार्यग्रहण दिनांक | परीवीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक | निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण किये जाने की दिनांक |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                      | 3                                                | 4                       | 5                                                | 6                                                                                        |
| 1.       | श्री सुनील कुमार गुंजन | कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर        | 10.07.2012              | 09.07.2014                                       | 10.07.2014                                                                               |
| 2.       | श्री शशिकान्त सैनी     | कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सीकर          | 03.08.2012              | 02.08.2014                                       | 03.08.2014                                                                               |
| 3.       | श्री संजय शर्मा        | कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सीकर          | 26.07.2012              | 25.07.2014                                       | 26.07.2014                                                                               |
| 4.       | श्री शिवपाल राम शेषमा  | कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सीकर          | 10.07.2012              | 09.07.2014                                       | 10.07.2014                                                                               |
| 5.       | श्रीमती शारदा अग्रवाल  | कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर         | 12.07.2012              | 11.07.2014                                       | 12.07.2014                                                                               |
| 6.       | श्री सत्यनारायण सोनी   | जिला परिवहन कार्यालय, टोंक                       | 09.07.2012              | 09.07.2014                                       | 10.07.2014                                                                               |
| 7.       | श्री शंकर लाल सिंवर    | कार्यालय स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, राजस्थान | 23.07.2012              | 22.07.2014                                       | 23.07.2014                                                                               |
| 8.       | श्री सुरेश कुमार       | कार्यालय स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, राजस्थान | 23.07.2012              | 22.07.2014                                       | 23.07.2014                                                                               |

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14(1)एफ.डी.(नियम) 2013-11 दिनांक 28.06.2013 के अनुसार क्रम संख्या 1 से 19 पर वर्णित सूचना सहायकों का वेतन श्रृंखला (पी.बी. 1) 5200-20200 (ग्रेड पे.न.10) ग्रेड पे 2800 मे वेतन 11170/- (वेतन 8370 + ग्रेड पे.2800) पर नियत किया जाता है। शेष सूचना सहायकों का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा किया जावेगा। नियमितिकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में की जावे।

आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक 01.07.2015 होगी।

आज्ञा से,

(ए.एम.देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं सयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट सेल, सू.प्रौ., जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित।
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
3. संबंधित कर्मचारी।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी, (संस्थापन)